बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (बक्सर) 02–35/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

श्री सक्षम सिंह, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–नावानगर, बक्सर के विरूद्ध समाहर्त्ता, बक्सर के पत्रांक–01–0971 दिनांक–31.05.2024 से प्राप्त आरोप पत्र में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के उपरांत मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, इनका मोबाईल नं०–7050555766 बंद पाये जाने, लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के समय मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, राजस्व संबंधी कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने, अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1310(15) दिनांक–01.08.2024 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक–13.08.2024 से विभाग को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, जो स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–699(15) दिनांक–08.05.2025 द्वारा श्री सक्षम सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया था।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0–702(15) दिनांक–08.05.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें अपर समाहर्त्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमरॉव, बक्सर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–03–3598 दिनांक–31.08.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित निष्कर्ष के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं समाहर्त्ता, बक्सर से अवकाश की अस्वीकृति संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन/समीक्षा से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा अपनी माताजी की ईलाज के प्रयोजनार्थ दिनांक–15.03.2024 से 18.03.2024 तक अकास्मिक अवकाश की स्वीकृति के उपरांत अवकाश में प्रस्थान किया गया था एवं माताजी के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण उच्चस्तरीय चिकित्सा हेतु सिलीगुड़ी ले जाया गया एवं कई बार अवकाश विस्तार करने हेतु समाहर्त्ता, बक्सर को डाक के माध्यम से आवेदन समर्पित किया गया जिसे समाहर्त्ता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिए जाने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने संबंधी पत्र प्राप्त नहीं होने को जबावदेह कारण के रूप में उल्लिखित किया गया है जो स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि तीन पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी और एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। आरोपी पदाधिकारी के लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर भी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण लोक सभा निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ।

बिहार सेवा संहिता के नियम–152 में प्रावधानित है किं छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है परंतु श्री सिंह द्वारा अवकाश विस्तार हेतु मात्र अभ्यावेदन डाक के माध्यम से प्रेषित कर बगैर अवकाश स्वीकृत कराये लंबी अवकाश का उपभोग किया गया है। यद्यपि आरोपी पदाधिकारी द्वारा परिस्थितिजन्य कारण यथाः अपने माताजी के प्रयोजनार्थ दिनांक–15.03.2024 से 18.03.2024 तक अकास्मिक अवकाश की स्वीकृति के उपरांत अवकाश अवधि के विस्तार हेतु डाक के माध्यम से मात्र आवेदन भेजते हुए लंबित अवकाश का उपभोग किया गया है जिसे समाहर्त्ता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तथापि सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृत कराये बिना निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण अवसर पर लंबी अवधि में अवकाश का उपभोग किया गया है जो बिहार सेवा संहिता के नियम–152 का उल्लंघन है। श्री सिंह का यह कृत्य वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

7. श्री सक्षम सिंह, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–नावानगर, बक्सर का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह को **"निन्दन" एवं "संचयी प्रभाव के साथ 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करने के साथ ही **निलम्बन मुक्त** करने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सक्षम सिंह, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–नावानगर, बक्सर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन"** (आरोप वर्ष 2024) एवं नियम–14(vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए **निलम्बन से मुक्त** कर विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

निबंधित/ई–मेल

ज्ञापांक–**15/आरोप (बक्सर) 02–35/2024–** (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, बक्सर को उनके पत्रांक–01–0971 दिनांक–31.05.2024 के प्रसंग में/आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/समाहर्त्ता, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं पटना/श्री सक्षम सिंह, राजस्व अधिकारी, आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

0/–

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (बक्सर) 02–35/2024–** 410 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–23/03/2026

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री सक्षम सिंह** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

23/3/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।